

**कार्यालय,
सचिव, प्राथमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।**

संख्या- प्राथिष/परीषद सम्बद्धता/2019/1132

लखनऊ दिनांक: 15-5-2019

:-कार्यालय ज्ञापन:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा वार्षिक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा फार्मसी तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने की उपरान्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश (से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में सत्र 2019-20 हेतु अखंडित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश तथा शुल्क/फीस हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक को 14-5-20 में विधेयता इन फार्मसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली नई संस्था का प्रस्ताव प्राप्त गया। सम्बद्धता समिति द्वारा मसौदा विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया -

"ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार को अनुक्रम में संलग्नक-2 में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-2 में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस सत्र को साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी0सी0आई0 अनुमोदन मात्र परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरान्त ही की जाएगी।"

अतः निम्नानुसार संश्लेषित तालिका को परिषद की निर्वाचन समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी समुचीत तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नलिखित सत्रों को अखिल पाठ्यक्रम एवं उपांगे अखिल प्रवेश प्रदान हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है -

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	ए0आइ0सी0टी0ई0/पि0सी0आई0 द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित संस्था	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 हेतु अनुमोदित संस्था
1	संस्था	को नाम अखिल जिक्र फार्मसी, मेरठ	डिप्लोमा इन फार्मसी	संस्था	संस्था

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था ए0आइ0सी0टी0ई0 द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था द्वारा अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा सत्र 2019-20 हेतु प्राथमिक शिक्षा परिषद विधिकरणकी समूह द्वारा अखिल निर्णय लिये गये अंतरों का अनुपालन करेगी तथा मुक्त निर्वाचन समिति द्वारा निर्धारित शुल्क (10000/-) तथा इच्छित पाठ्यक्रमों हेतु रु० 20,00,000/- अर्थात् दो लाख फार्मसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 10,00,000/- अर्थात् एक लाख तथा दो लाख पाठ्यक्रमों हेतु अर्थात् फार्मसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु रु० 22,00,000 अर्थात् 22 लाख ही प्रायः प्राप्त/आवक से प्राप्त किया जायेगा। अर्थात् दो अतिरिक्त छात्र/संस्थाओं में शुल्क के अभाव में सत्र-सत्र पर प्रवेश द्वारा निर्णय किये जाने वाले सार्वजनिक प्रकाश होने और अनुमोदन संबंधित शिक्षण प्रदान करारका होगा। अखिल निर्वाचन समिति द्वारा यदि सत्र 2019-20 हेतु पी0सी0आई0 अनुमोदन किया जाता है, तो संस्था को निर्वाचन में अनुमोदित।

- ✓ संस्था को (अथवा) प्राथमिक शिक्षा समितियाँ तथा अन्य समितियाँ, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाने। विनियमनकारी-2003 की शर्त का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के लिए भर्ना करने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समाज-सम्बद्ध पर निर्भर सहायकों के अनुसार नियुक्ति एवं सम्बद्ध शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एकाधिकारिताओं से अवगत कर देना अनुमोदन प्राप्त किया जाने आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था द्वारा प्रवेश सामान द्वारा प्रवेश गये विधि/विधान/अधिनियम/सहायकों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, 2003, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 2003 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2000 द्वारा कएने गये विधान, विनियम, आदेशों, निर्देशों का पालन करने के विवेक प्राप्त होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों पर अनुमोदन की संस्था पर ही प्रेषित नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ रहती है तो इस संबंध में संस्था द्वारा प्राथमिक शिक्षा संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी की कार्यवाही के लिए संस्था का उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रवेश सामान को कोई एक द्वारा किया जाता है तथा चार-102 के संस्था में या शासनालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया प्रेषित आदेश निर्देश किया जाता है तो संस्था प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ विद्यार्थी इन शर्तों पर अनुमोदन संबंधित करने वाली संस्थाओं को राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश शासनालय द्वारा प्रवेश करने के लिए उपस्थित प्रवेश परीक्षा हेतु उपस्थितित प्राप्त होने के पूर्व प्रेषित/अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आवृत्तितिक के आधार पर) अवकाश संस्था स्तर पर सीधे प्रवेश) अनुमोद नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ द्वारा प्रवेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्देश नवीनतम शासनालय निर्देश का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की संस्था सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक प्रतिक्रिया, प्रवेश, प्रवेश-सम्बद्ध, उपकरण, प्राप्त किया जाने गए शुल्क, प्रवेशगत शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध करने की साथ विभिन्न प्रकार के सम्बन्ध में शासनालय आवश्यक साधन सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित करे कि संस्था में प्राथमिक/सहायक/सहायक के बतारे जाने हेतु निर्धारण शर्तों के संस्था उपलब्ध कराये गये अधिनियम, भूमि-सम्बद्ध, परीक्षा, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य साधन के साधन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपलब्ध का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्बद्धता संस्था किये जाने की अनुमोदन की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्त का अनुपालन न किये जाने अवकाश शर्त का प्रयोग किये जाने की स्थिति में विनियमन अनुपालन/अनुमोदन कार्यवाही की जायेगी।

(सचिव मुख्य शिक्षा)
सचिव

क्रमांक- प्राथमिक/परिषद सम्बद्धता/2019/1133-2252

तारीख दिनांक 15-5-2019

प्राथमिक-प्रशासक/निदेशक, श्री राम जीवित ऑफिस चारमैरी, मेरठ

(सचिव मुख्य शिक्षा)
सचिव

**कार्यालय,
राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,
राज्य प्रदेश सचयनक।**

संख्या:- प्राथम/परिषद सम्प्रदाता/2020/1871

तथागत दिनांक: 15-9-2020

:-कार्यालय द्वारा:-

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/राज्यीय कार्यालय लोक इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा निर्मित वर्ष 2020-21 हेतु विद्योक्त राज्यीय प्राथमिक शिक्षा सम्प्रदायों को अनुसूचित प्रदान किए जाने को सम्बन्धित प्राथमिक शिक्षा परिषद, राज्य सचयनक से सम्प्रदाय/सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-9-2020 को आदेश, प्राथमिक शिक्षा परिषद, राज्य सचयनक की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु आवेदित नई सम्प्रदायों को सम्प्रदाय/पूर्व से सम्बन्धित सम्प्रदायों को सम्प्रदाय विस्तार/सम्प्रदाय/प्रदेश स्तराव दृष्टि सहीत अन्य नवीं वर विचार करने हेतु वर्ष 2020-21 हेतु सम्प्रदाय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

यहां से अनुसूच में सम्प्रदाय समिति को बैठक को बंद-3 में दिनांक 15-9-2020 हेतु राज्यीय सचयनक सम्बन्धित करने वाली हुई से सम्प्रदाय सम्प्रदायों का प्रस्ताव रखा गया। सम्प्रदाय समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय लिया गया :-

"सिद्धी क्षेत्र में सम्बन्धित विद्योक्त द्वारा कार्यही सचयनक सम्बन्धित करने वाली संस्थाएं, जो प्राथमिक शिक्षा परिषद, राज्य सचयनक से पूर्व से सम्बन्धित हैं, एवं वर्ष 2020-21 हेतु पीठरी/आर्यो द्वारा प्रदत्त सम्बन्धित अनुसूचित विस्तार प्रदान किए गए हैं। इन संस्थाओं में पीठरी/आर्यो द्वारा प्रदान किये नये अनुसूचित विस्तार को अनुसूचित सम्बन्धित रूप से सम्बन्धित अधिक सचयनक/प्रदेश स्तराव के द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार प्रदान किये जाने पर सम्बन्धित द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं कार्यसमिति में पीठरी/आर्यो द्वारा प्रदत्त अनुसूचित विस्तार को अनुसूचित में वर्ष 2020-21 हेतु परिषद से सम्प्रदाय विस्तार देने जाने का निर्णय लिया गया।"

दिनांक 14-09-2020 को आदेश सम्प्रदाय समिति को बैठक में किये गये कार्यसमिति निर्णय को अनुसूच में निम्न संख्या को प्राथमिक शिक्षा परिषद, राज्य सचयनक द्वारा वर्ष 2020-21 हेतु निर्णयित करने को अध्यक्ष सचयनक एवं यहाँ से अधिक प्रतीत आदेश हेतु सम्प्रदाय विस्तार प्रदान की जाती है :-

क्र. सं.	संस्था का नाम	संस्था का नाम	सचयनक का नाम	पीठरी/आर्यो द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुसूचित प्रदान	पीठरी/आर्यो द्वारा वर्ष 2020-21 में अनुसूचित प्रदान
1	राज्य	बी एन प्रोविडेंट प्रोविडेंट, मराठ।	विद्योक्त द्वारा जारी	60	60

सम्प्रदाय हेतु नई

- ✓ सम्बन्धित सम्प्रदाय/आर्यो/आर्यो द्वारा निर्मित को नवीं वर्षों का पूर्ण प्रदान करेगी।
- ✓ सम्बन्धित क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा परिषद द्वारा 1982 तक प्राथमिक शिक्षा परिषद विद्योक्त की 1982, संशोधित विद्योक्त-2010 तक अन्य निर्मित निर्णय एवं कार्यसमिति को अनुसूचित क्षेत्रों तक पूर्ण निर्मित निर्मित द्वारा निर्मित पूर्ण क्षेत्र प्राथमिक शिक्षा सचयनक हेतु ₹ 20,00,000/- प्रदान की जायेगी प्राथमिक शिक्षा सचयनक हेतु ₹ 10,00,000/- प्रदान की जायेगी एवं एक लाख की प्राथमिक सचयनक (10 लाख) राज्यीय सचयनक के अधीन हेतु ₹ 10,00,000 का निर्णय पूर्ण की जायेगी प्रदान/प्रदान में प्राप्त किया जायेगा। कार्यसमिति को प्राथमिक शिक्षा सचयनक के पूर्ण को सम्बन्धित में वर्ष-वर्ष पर प्रदान द्वारा निर्मित किये जाने वाली सम्बन्धित सम्प्रदायों को, और अनुसूचित कार्यसमिति द्वारा

(Handwritten mark)

संस्था के लिए अधिष्ठित नीति प्रयोग हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पीओ/आईओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें नीति की (काउन्सिलिंग के माध्यम से अथवा संस्था कक्ष पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

- ✓ उक्त नीति संस्था द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित नवीनतम आवेदन तिथि का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठिका भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्रस्ताव किया जाने वाला सुनक, छात्रावास सुनक आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-विकास हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेजिडेंट टीचर्स के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में परामर्शित/संघनित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कार्य नये अतिरिक्त, भूमि-भवन, क्लीयर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थानीय निरीक्षण टीम यदि संस्था में भूमि, भवन, नवीनतम, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा पीओ/आईओ/पीओ/आईओ/परिषद के मातृकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता कर्तों का अनुपालन व किये जाने अथवा कर्तों का उपलक्षण किये जाने की विधि में विद्यमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(मुनीम हुसैन
सचिव)

तारीख

दिनांक

09/08/2021

फ़ोन- परिषद/परिषद 05625812021/3538-4809

पता-परिषद-

आसफ़ाबाद, मिर्जापुर SHRI RAM COLLEGE OF PHARMACY, MEERUT


(मुनीम हुसैन
सचिव)

तारीख